भारत सरकार

‘यह बजट “एक ऐसे भारत का बजट है जो प्रगति के पथ पर है” एक ऐसा भारत जो समृद्धि की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। यह बजट एक ऐसे भारत से संबंधित है जो गरीबी को निकाल फेंकेगा और अपने विशाल संसाधन, अपनी मानव पूंजी की ताकत तथा ज्ञान के असीम भंडार के आधार पर अपना निर्माण कर रहा है।’

बजट, 2003-04

28 फरवरी, 2003

बजट 2003-2004 की मुख्य विशेषतायें

बजट प्राथमिकतायें

- गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार को शामिल करते हुए नागरिकों की जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना।
- आधार संरचना विकास
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के सुधारों, 1 अप्रैल, 2003 से राज्य स्तर पर सेवा कर और मूल्यवर्धित कर (वैट) शुरु करने सहित कर सुधारों, बजटीय अड़चनों की उत्तरोत्तर समाप्ति के द्वारा राजकोषीय सशक्तिकरण।
- सिंचाई सहित कृषि एवं संबंधित पहलू और
- निर्यात संवर्धन और सुधार प्रक्रिया को आगे और तेज करने सहित विनिर्माण क्षेत्रक की कार्यकुशलता को बढ़ाना।

अंत्योदय और जीवन से जुड़ी समस्याएं

अंत्योदय अन्न योजना

- 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने के लिये 1 अप्रैल, 2003 से अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा जिससे लाभान्वितों की कुल संख्या वर्ष 2003-04 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों के एक चौथाई से अधिक हो जाएगी।

जीवन से जुड़ी समस्यायें

आवास

- स्वयं के रहने की आवास संपत्ति के निर्माण या खरीद के लिये 1,50,000 रुपए तक आयकर के अधीन कटौती योग्य ब्याज जारी रखा जाएगा।
- 31 मार्च, 2005 तक स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित निर्धारित विनिर्देशन के आवासीय यूनिटों के निर्माण के लिये आवास परियोजनाओं से प्राप्त आय को आयकर से छूट।

शिक्षा

- दो बच्चों के लिये प्रति बच्चा 12000 रुपए तक के शिक्षा व्ययों को आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत छूट के योग्य बनाया गया।
- साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक पुस्तकों के लेखकों द्वारा प्राप्त 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की रायल्टी की आय और पेटेन्टों के उपयोग से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त रायल्टी को पूरी छूट दी गई।

स्वास्थ्य

- आयकर अधिनियम की धारा 10(23छ) के लाभ ऐसी वित्तीय संस्थाओं को भी प्रदान किये गये जो 100 या इससे अधिक पलंगों वाले निजी अस्पतालों को दीर्धकालिक पूंजी प्रदान करती हैं।
- जीवन रक्षक चिकित्सा उपस्कर के संबंध में मूल्यह्नास दर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत की गई।
- रुक्ष नेत्र ब्लैक्स पर प्राथमिक सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क क्रमशः कम करके 25 से 5 प्रतिशत और 16 से 8 प्रतिशत किया गया।
- विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक उपस्कर पर सीमा शुल्क सी.वीडी. (सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क) की छूट सहित 25 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया। सी.वी.डी. से पहले ही छूट प्राप्त जीवन रक्षक उपस्कर को उत्पाद शुल्क से भी छूट दी गई।
- कुछ और दवाओं को 5 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर प्रदान की गई। इस समय शून्य या 5 प्रतिशत सीमाशुल्क वाली जीवन रक्षक दवाओं को उत्पाद शुल्क से भी छूट दी गई। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयुक्त ग्लूकोमीटर्स और ग्लूकोमीटर पट्टियों पर प्राथमिक सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया गया और उत्पाद शुल्क से भी छूट दी गई। साइक्लोस्पोइस और डेसफेरोल को उत्पाद शुल्क से छूट।

स्वास्थ्य बीमा

- 2003-04 के दौरान समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम तैयार की जाएगी। एक व्यक्ति के लिये 1 रुपए प्रतिदिन (या 365 रुपए प्रतिवर्ष), पांच सदस्यीय परिवार के लिये 1.50 रुपए प्रतिदिन, सात सदस्यीय परिवार के लिये 2 रुपए प्रतिदिन का प्रीमियम 30,000 रुपए तक के अस्पताल में भर्ती रहने के व्यय की प्रतिपूर्ति, दुर्घटना के कारण मुत्यु पर 25,000 रुपए की सहायता और आय में नुकसान के लिये 15 दिनों तक प्रतिदिन 50 रुपए की दर से प्रतिपूर्ति की हकदारी प्रदान करायेगा। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिये यह स्कीम प्रदान करने हेतु सरकार उनके वार्षिक प्रीमियम में प्रतिवर्ष 100 रुपए का अंशदान करेगी।

अपंग और विकलांग

- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या ऐसे आश्रितों वाले व्यक्ति स्थायी शारीरिक असमर्थता के लिए 50,000 रुपए की कटौती और गंभीर रूप से विकलांगों के मामले में 75,000 रुपए की कटौती के पात्र होंगे।
- श्रवण यंत्रों, वैशाखियों, व्हील चेयर्स, वाकिंग फ्रेम्स, ब्रेलर्स और नकली अंगों पर सीमाशुल्क कम करके बिना किसी विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) के 5 प्रतिशत किया गया है। उन्हें सीवीडी से छूट दी जाएगी और घरेलू विनिर्माताओं को इसके बाद उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। श्रवण यंत्रों और व्हील चेयर्स के पुर्जों पर बिना सीवीडी और एसएडी के सीमाशुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

वेतनभोगी

- 5 लाख रुपए तक की वेतन आय के मामले में ऐसे कर्मचारियों के लिए मानक कटौती बढ़ाकर वेतन का 40 प्रतिशत या 30,000 रुपए, जो भी कम हो, कर दी गई है और 5 लाख से ऊपर की वेतन आय के मामले में 20,000 रुपए की गई है। 5 लाख रुपए तक के वीआरएस भुगतान को छूट प्रदान की गई है, भले ही उसे किश्तों में लिया गया हो।

वरिष्ठ नागरिक और पेंशनभोगी

- वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, 1.53 लाख रुपए (पेंशन वाले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में मानक कटौती के कारण 1.83 लाख रुपए) तक की उनकी आय अब आयकर से पूर्णतया छूट प्राप्त होगी। स्रोत पर कोई कटौती न करने के संबंध में हमारे वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत स्व-घोषणा को स्वीकार किया जाएगा।

बीमा पेंशन स्कीम

- भारतीय जीवन बीमा निगम वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना नामक एक विशेष पेंशन पालिसी शुरू करेगा जिसमें मासिक पेंशन स्कीम के रूप में 9 प्रतिशत के वार्षिक प्रतिलाभ की गारंटी होगी। न्यूनतम और अधिकतम प्रस्तावित मासिक पेंशनें 250 रुपए और 2000 रुपए की हैं।

भूतपूर्व सैनिक

- भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन गठित निगमों को आयकर छूट प्रदान की जाएगी।

पुनर्गठित पेंशन स्कीम

- नए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) तथा आम जनता के लिए यह एक पुनर्गठित पेंशन योजना है। यह योजना परिभाषित अंशदान पर आधारित होगी तथा सरकारी कर्मचारियों के मामले में सरकार और कर्मचारियों के बीच बराबर की साझेदारी होगी।

भौतिक आधार संरचना

सड़कें, रेलवे, विमानपत्तन तथा समुद्रपत्तन :

- नवीन निधि प्रणालियों द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाएगाः
  - 40,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 48 नई **सड़क परियोजनाएं**, जिनमें से एक चौथाई सड़कों का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जाएगा।
  - 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली **राष्ट्रीय रेल विकास योजना**; जिसे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 3000 करोड़ रुपए की इक्विटी तथा 5000 करोड़ रुपए के ऋणों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।
  - 11,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर **दो विमानपत्तनों तथा दो समुद्रपत्तनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण**; तथा
  - **1,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दो वैश्विक मानक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर्स की** स्थापना।

ग्रामीण सड़कें

- वर्ष 2003-04 के लिए डीजल पर मौजूदा उपकर से प्रत्याशित 2,325 करोड़ रुपए आवंटन करने के अलावा, ग्रामीण सड़कों के लिए डीजल पर 50 पैसे प्रस्तावित अतिरिक्त उपकर से अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

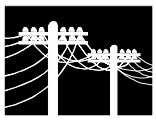

विद्युत

- अब किसी भी विद्युत परियोजना को, जो बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए पहले से निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो, इन सभी लाभों का विस्तार करते हुए बड़ी विद्युत परियोजना नीति को और उदार बनाने का प्रस्ताव है। उच्च वोल्टेज पारेषण के लिए विशिष्ट उपस्करों पर से सीमा शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया गया।
- जीवाश्म ईंधन के विकल्पों के रूप में सौर ऊर्जा, पवन टरबाइन और हाईड्रोजन ईंधन में और अनुसंधान हेतु इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन प्रेरित अनुसंधान शुरू करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को 20 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन।

पेयजल

- जलापूर्ति परियोजनाएं पूंजीगत सामान और मशीनरी के संबंध में सीमाशुल्क व उत्पाद शुल्क दोनों से अब पूर्णतया मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, स्रोत से शोधन संयंत्र तक कच्चा पानी लाने और साधित जल को भंडारण स्थल तक ले जाने के लिए पाईपों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।

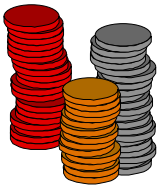

राजकोषीय समेकन तथा ऋण पुनःसंरचना

नकदी प्रबंध

- बड़े खर्च करने वाले कुछ मंत्रालयों में प्रायोगिक आधार पर विभाजित समय में बजटीय आवंटन जारी करते हुए नकदी प्रबंध की शुरूआत की जाएगी।

विदेशी ऋण की पूर्व-अदायगी

- सरकार ने विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के लगभग 3 बिलियन डालर की उच्च लागत के मुद्रा पूल ऋणों का समय से पहले ही भुगतान कर दिया है।

केन्द्र सरकार के घरेलू ऋण

- उच्च ब्याज संरचना के अधीन संविदाकृत केन्द्रीय सरकार के घरेलू ऋण की बैंकधारिता को पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर वापस खरीदने की पेशकश की जाएगी।

राज्य सरकारों के ऋण

- ऋण अदला-बदली योजना शुरू की गई है जो राज्यों को उच्च लागत के ऋणों की समय पूर्व अदायगी में समर्थ बनाएगी। ऋणों की शेष परिपक्वता अवधि में राज्य ब्याज और आस्थगित ऋण वापसी-अदायगियों में कम से कम अनुमानतः 81,000 करोड़ रुपए बचाएंगें।

कृषि

बागवानी, पुष्पकृषि, आदि में विविधीकरण

- हाई-टेक बागवानी और अच्छे परिणाम देने वाली खेती बाड़ी के संबंध में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम शुरू की जाएगी। उर्वरता, जैव-प्रौद्योगिकीय औजारों का प्रयोग, हरित खाद्य उत्पादन और हाई-टेक ग्रीन हाउस जैसे हाई-टेक प्रयोग इस स्कीम के प्रमुख संघटक होंगे।

बागान

- छोटे उत्पादकों को आय के संदर्भ में स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से 2003-04 से चाय, काफी और प्राकृतिक रबड़ के उत्पादकों के लाभ के लिए 500 करोड़ रुपए की "मूल्य स्थिरीकरण निधि" की प्रक्रिया 2003-04 में शुरू हो जाएगी।
- चाय पर 1 रुपया प्रति किलोग्राम के उत्पाद शुल्क के स्थान पर चाय बागान क्षेत्र के विकास, आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास के लिए अलग निधि के सृजन हेतु 1 रुपया प्रति किलोग्राम का उपकर लगाने का प्रस्ताव है।

पशुपालन और पशु चिकित्सा

- विशिष्ट पशु चिकित्सा की दवाओं पर प्राथमिक शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। समुद्री खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए श्रिम्प लार्वा फीड पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और इसे सीवीडी से मुक्त कर दिया गया है।

ऋण उपलब्धता

- कृषि और लघु क्षेत्र को न्यून ब्याज दरों का लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने प्रतिभूतित अग्रिमों के लिए अपनी मूल उधार दर में 2 प्रतिशत न्यूनाधिक की ब्याज दर समूह की घोषणा की है।
- नाबार्ड द्वारा प्रसारित एस एच जी-बैंक सम्पर्क कार्यक्रम के अंतर्गत जनवरी 2003 तक 1.50 लाख नए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से लगभग 25 लाख गरीब परिवारों को 598 करोड़ रुपए के बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
- डाक घर के माध्यम सहित कृषि ऋण की फ्रेंचाइजिंग, के प्रश्न पर नए सिरे से विचार किया जाएगा।

उर्वरक सब्सिडी

- उर्वरकों का निर्गम मूल्य में प्रति 50 किलोग्राम बैग यूरिया के लिए 12 रुपए तथा डी.ए.पी. व एम.ओ पी. के लिए 10 रुपए की मामूली धनराशि बढ़ाई जाएगी। मिश्रित उर्वरकों के मूल्य भी समुचित रूप से संशोधित किए जाएंगे।

जल प्रबंधन एवं सिंचाई

- आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, एक सदस्य के रूप में दूसरे राज्य के कृषि मंत्री के साथ, एक द्विदलीय कार्य दल गठित किया जाएगा,जो ड्रिप और छिड़काव सिंचाई के विस्तार के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करेगा और सुरक्षा उपाय सुझाएगा ताकि वांछित लाभ वास्तव में लक्षित समूह तक पहुंच सके।
- एक कार्यदल की नियुक्ति की गई है जो जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के स्थानान्तरण और शीघ्र कार्यान्वित किए जा सकने वाले प्राथमिकता संपर्कों का पता लगाने तथा साथ ही उनकी स्वीकृति और निधिपोषण के लिए कार्यप्रणालियों पर राज्यों के बीच सहमति कराने के लिए कार्यपद्धतियों का सुझाव देगा।
- राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में एक विशेष कार्यक्रम मरु गोचर योजना शुरु की जाएगी। यह कार्यक्रम पारम्परिक जल स्रोतों की बहाली के लिए तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करने के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में प्रत्येक अभिज्ञात जिले में कम से कम एक वृहद चरागाह नर्सरी विकसित करके पारम्परिक चरागाह "ओरान" अथवा "गौचर" की पुनःस्थापना का प्रावधान करेगा।

उद्योग

निवेश को बढ़ावा देना : लाभांश और पूंजी अनुलाभों के संबंध में कर-सुविधा

- 1 अप्रैल, 2003 से शेयरधारकों के लिए लाभांश कर-मुक्त होगा। तदनुरूप से घरेलू कंपनियों पर 12.5 प्रतिशत लाभांश वितरण कर लगेगा।
- 1 मार्च, 2003 को अथवा उसके बाद अधिगृहीत और एक वर्ष अथवा अधिक बीतने के बाद बेची गई सभी सूचीबद्ध इक्विटियों को अब पूंजी अनुलाभ कर से छूट है।

अनुसंधान तथा विकास

- 31 मार्च, 2004 तक स्थापित, अनुसंधान तथा विकास में रत कंपनियों के संबंध में करावकाश प्रदान किया गया है।

वस्त्र उद्योग

- उत्पाद शुल्क युक्तिसंगत बनाकर एक प्रोत्साहन पैकेज शुरु किया जाएगा, जिसमें एक संयत दर संरचना होगी जो अनुपालन को प्रोत्साहन देने हेतु "सेनवेट" श्रृंखला को पूरी कर सके, आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे और अपवंचन समाप्त कर सके।
- वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रोत्साहन के लिए,वस्त्र उद्योग मशीनरी तथा उनके कलपुर्जों की बड़ी संख्या पर सीमाशुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- आधुनिकीकरण हेतु एक पावरलूम पैकेज प्रदान किया जाएगा। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक नई पावरलूम वर्कशेड स्कीम प्रारंभ की जाएगी। कल्याण उपाय के तौर पर, सभी पावरलूम कामगारों को विशेष बीमा स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया जाएगा।

फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) तथा जैव--प्रौद्योगिकी

- फार्मास्यूटिकल्स जैव-प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में समान रूप से आयकर रियायतें दी जाएंगी।
- सभी औषधियां तथा सामग्री जिन्हें क्लिनिक परीक्षणों के लिए घरेलू तौर पर आयातित या घरेलू रूप में निर्मित किया जाता है, उन्हें सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्कों से छूट प्राप्त होगी।
- आयकर अधिनियम की धारा 10क तथा 10ख के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी को प्रदत्त रियायतें आमेलन अथवा पृथक्करण की स्थिति में भी जारी रहेंगी।
- पहले से लोड साफ्टवेयर के मूल्य को कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ हटा लिया जाएगा।
- दूरसंचार तथा आईटी सेक्टर द्वारा संघटकों के निर्माण हेतु उपयोग में लाई जा रही कई पूंजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबिल्स के लिए भी सीमाशुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया है। आप्टिकल फाइबर बनाने के लिए ई-ग्लास रोविंग के विनिर्माण हेतु विनिर्दिष्ट कच्चे मालों पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
- विनिर्माण सुविधाओं वाली अनुसंधान तथा विकास इकाइयों के संबंध में, विनिर्दिष्ट उपस्करों के लिए पूर्ण सीमाशुल्क रियायत का लाभ उनकी विनिर्माण गतिविधि हेतु पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के 25 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध रहेगा।

पर्यटन

- निम्नलिखित के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगेः व्यय कर हटाना; तीन-सितारा तथा उससे ऊपर की श्रेणियों के होटलों को दीर्घकालिक पूंजी अग्रिम प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थाओं को धारा 10(23छ) का लाभ प्रदान करना; आमेलन पर अनावशोषित हानि तथा मूल्यह्रास को समंजित करने के लाभ अब से होटलों को आयकर अधिनियम की धारा 72क के तहत उपलब्ध होंगे; होटल उद्योग को सेवा कर से छूट जारी रहेगी; और रोपवे परियोजनाओं के लिए आयातित उपस्करों पर मूल सीमाशुल्कों को बिना सीवीडी तथा एसएडी के भुगतान को घटाकर 5 प्रतिशत करना।

रत्न और आभूषण

- खुरदरे, रंगीन रत्न पत्थरों पर सीमाशुल्कों को घटाकर 5 प्रतिशत, अर्द्ध संसाधित,आधे कटे हुए अथवा टूटे हीरों पर 15 प्रतिशत से शून्य तक और कटे और पालिश किए हीरों और रत्न पत्थरों पर भी सीमाशुल्क को मौजूदा 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
- आयातित स्वर्ण पर सीमाशुल्क को घटाकर प्रति 10 ग्राम पर 100 रुपए कर दिया गया है, इसे क्रमबद्ध तौर पर संख्या अंकित की गई सिल्लियों के रूप में अथवा स्वर्ण सिक्कों के रूप में लाया जाता है।
- आयकर अधिनियम की धारा 10क तथा 10ख के तहत प्राप्त लाभों को हीरों तथा रत्नों की कटिंग तथा पॉलिशिंग के मामले में प्रदान किया जाएगा।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) को सशक्त बनाना

- परियोजना निर्यातकों को पर्याप्त हामीदारी सहायता उपलब्ध कराने के लिए ईसीजीसी को सक्षम बनाने हेतु सरकार ने अपनी शेयर पूंजी बढ़ाकर 80 करोड़ रुपए करने का निर्णय किया है।

लघु उद्योग

- प्रयोगशाला रसायनों तथा रीजेन्टों, चर्म तथा चर्म उत्पादों, प्लास्टिक उत्पादों, रसायन तथा रासायनिक उत्पादों और कागज उत्पादों की 75 मदों से लघु उद्योग आरक्षण वापस लिया जाएगा।

विनिवेश

- अवशिष्ट शेयरों के पश्च निवेश धारण करने वाली विनिवेश निधि तथा परिसंपत्ति प्रबंधन समिति के ब्यौरों को वर्ष 2003-2004 के प्रारंभ में अंतिम रूप दिया जाएगा।

अन्य सुधार

बैंकिंग

- बैंकिंग कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया जाएगा।
- किसी बैंकिंग कंपनी में शेयरों को धारण करने वाले किसी व्यक्ति के मतदान अधिकार की 10 प्रतिशत की सीमा को, भले ही उसकी शेयरधारिता कुछ भी हो, हटाया जाएगा।

ब्याज दर

- लोक भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं आदि पर ब्याज की दरें 1 मार्च से एक प्रतिशतांक कम की जाएंगी। राहत बांडों पर ब्याज को भी निर्धारित किया जाएगा।

पूंजी खाता

- स्वचालित मार्ग के अधीन समुद्रपारीय निवेश की अनुमति उन्हीं कारपोरेट को दी जाएगी,जिनका पिछला रिकार्ड अच्छा हो,भले ही निवेश उसी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप में न हो। भारतीय कंपनी की निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक ऐसे निवेश की सीमा को बढ़ा कर 100 प्रतिशत किया जाएगा।
- 100 मिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान उच्चतम सीमा हटाकर स्वचालित मार्ग के अधीन विदेशी वाणिज्यिक उधारों की बकाया राशि के पूर्व-भुगतान की अनुमति दी जाएगी।

विदेशी सहायता

- भारत सरकार अब कतिपय द्विपक्षीय भागीदारों को छोटे सहायता पैकेजों के साथ अलग करना चाहेगी। अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धन देशों के लिए एक ऋण राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।

कर सुधार

- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1957 को संशोधित किया जा रहा है, ताकि राज्य वस्त्र,चीनी और तम्बाकू उत्पादों पर बिक्री कर लगा सके और जिसकी दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- प्रस्तावित सांविधिक संशोधन केन्द्रीय सरकार को सेवा कर लगाने की शक्ति प्रदान करेगा और केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों को प्राप्तियों का संग्रहण करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

केन्द्रीय बिक्री कर

- पंजीकृत डीलरों के बीच अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की उच्चतम दर घटाकर 2 प्रतिशत की जाएगी।

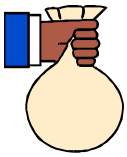

प्रत्यक्ष कर

- 5 प्रतिशत अधिभार, को कारपोरेट के मामले में आधा कर दिया जाएगा और 8.5 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वालों को छोड़कर, व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों के मामले में यह अधिभार पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। जो 8.5 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर रहे हैं, उनसे 10 प्रतिशत अधिभार लिया जाएगा।
- लाभांश, ब्याज आदि से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टि करदाताओं को प्रदत्त 9000 रुपए की सामान्य कटौती को 12,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज के संबध में 3000 रुपए की अतिरिक्त छूट की स्वीकृति दी गई है।
- कारोबार अथवा व्यवसाय कर रहे व्यष्टि और हिन्दू अविभाजित परिवार को वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा किए गए भुगतानों से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक नहीं है।

प्रशासनिक सुधार

- आयकर विभाग के पैन का आबंटन जैसे गैर-मुख्य कार्यकलाप बाहरी स्रोत से करना;
- संवीक्षा के लिए विवरणी को वार्षिक रूप से केवल 2 प्रतिशत विवरणियों के यादृच्छिक, कम्प्यूटर जनित, सूचना चयन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस प्रणाली के माध्यम से सभी वापसियों को करदाता के बैंक खाते में सीधे जमा करना;
- कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण के प्रयोजनार्थ आवेदन, में प्रयुक्त फार्मों की संख्या को 42 से आधा करके 22 कर दिया गया है।
- वेतन, गृह संपत्ति और ब्याज आदि से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टि करदाताओं के लिए केवल एक पृष्ठ की विवरणी फार्म प्रारंभ करना।
- विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना है;
- भारत छोड़ने वाले किसी व्यक्ति अथवा सरकारी ठेके के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के लिए इस समय आवश्यक कर-क्लियरेंस संबंधी प्रमाणपत्र की समाप्ति;

अप्रत्यक्ष कर : उत्पाद शुल्क

युक्तिसंगत बनाना और राहत

- 8 प्रतिशत, 16 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की 3-श्रेणी वाली उत्पाद शुल्क संरचना निर्धारित की जाएगी।
- टायरों, वातित साफ्ट ड्रिंक्स, पोलिएस्टर, फिलामेंट यार्न, एयर कंडीशनरों तथा मोटर कारों पर 32 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया गया है।
- आम नागरिकों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मदों, जिन पर 4 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है, को पूरी तरह से शुल्क-मुक्त किया जाएगाः बिना ब्रांड़ वाली सर्जिकल पट्टियां; रजिस्टर तथा लेखा पुस्तकें; छाते; किरोसीन प्रैशर लालटेन; लकड़ी की वस्तुएं; नकली जरी; चेपदार टेप; नलदार बुनी हुई गैस मेंटल फ्रैब्रिक; वाकिंग स्टिक; अभ्रक से बनी वस्तुएं; बाइसिकल तथा पुर्जे; खिलौने; चित्रित टाइलें; बर्तन तथा रसोई की वस्तुएं; चाकू, चम्मच तथा रसोई में मेज पर प्रयुक्त होने वाली ऐसी ही वस्तुएं; शोधक चश्मों के शीशे।

- गैर-यांत्रिक क्षेत्र द्वारा बनाई जाने वाली माचिसों को उत्पाद-शुल्क से पूरी तरह से छूट रहेगी। अर्ध-यांत्रिक तथा यांत्रिक क्षेत्र द्वारा निर्मित माचिसों पर सेनवैट-रहित 8 प्रतिशत की दर से यथामूल्य शुल्क लगेगा।
- औषधियों तथा प्रसाधन वस्तुओं, जिनमें अल्कोहल होता है, पर प्रभार्य उत्पाद शुल्क को 20 से 50 प्रतिशत तक की वर्तमान दरों से कम करके समान दर 16 प्रतिशत किया गया।
- प्रेशर कुकर, नेत्र-संबंधी ब्लैंक, बिस्कुट, बायल्ड स्वीट्स तथा डेंटल-कुर्सियों पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया। रिकार्डिड आडियो काम्पेक्ट डिस्क (सीडी) अब उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त होंगी।

परिवहन

- इलैक्ट्रिकल वाहनों पर शुल्क को 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया।
- सेनवैट क्रेडिट सुविधा की उपलब्धता के साथ निम्नलिखित मदों पर 8 प्रतिशत का नया उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव हैः ब्रांड वाले रिफाइन्ड खाद्य तेल तथा परचून बिक्री के लिए डिब्बा बंद वनस्पति तेल - यह बिना ब्रांड वाले तेल पर लागू नहीं होगी, ले-फ्लैट टयूबिंग, रसायन रिजेन्टो; कृषि अपशिष्ट से निर्मित काष्ठ मुक्त कण अथवा फाइवर बोर्ड; गैर-पारम्परिक कच्चे माल से निर्मित कागज तथा गत्ता; तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी सेट के लिए पापुलेटिड प्रिंटिड सर्कट बोर्ड।
- सीमेंट और क्लिंकर पर विशिष्ट दरों में 50 रुपए प्रति टन की बढ़ोतरी।
- हल्के डीजल तेल पर प्रति लीटर 1.50 रुपए का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

- पोलिएस्टर फिलामेंट वार्न, मोटर कारों तथा दुपहियों पर 1 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क तथा कच्चे तेल, वह घरेलू हो अथवा आयातित, पर भी 50 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से शुल्क लगाया गया है।

सेवा-कर

- साधारण सेवा कर की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत तथा 10 नई सेवाओं पर लेवी लगाई गई है।
- निविष्टि सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट, की सुविधा को सभी सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है, चाहे निविष्टि तथा अंतिम सेवाएं अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत ही आती हों।

अप्रत्यक्ष कर : सीमा शुल्क

- सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन इनमें कृषि तथा डेयरी उत्पाद शामिल नहीं हैं।
- धात्विक कोक तथा निकल पर, 10 प्रतिशत की एक समान दर पर सीमाशुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है।

- कौंच सीपियों तथा मूल लाख पर शुल्क को 30 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया।
- जैतून चीड़ रेसिन, जो तारपीन के लिए कच्ची सामग्री है, पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- वास्तविक वाणिज्यिक नमूनों तथा उपहारों के लिए पूर्ण सीमा शुल्क छूट के लिए मूल्य सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है।
- यात्री सामान पर सीमा शुल्क को 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

पूंजीगत वस्तुएं तथा आधार संरचना

- एलएनजी रिगैसीफिकेशन संयंत्रों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है; कास्टिक सोडा उद्योग में प्रयुक्त होने वाले मेम्बरेन सैल प्रौद्योगिकी के घटकों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 कर दिया गया है; लोकोमोटिव्स के पुर्जों, लोकोमोटिव्स को डीसी से एसी में रूपान्तरित करने संबंधी पुर्जों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तथा चालकों के प्रशिक्षण हेतु लोको सिमुलेटरों पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तथा प्रशीतित ट्रकों पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।